



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक :- 19.03.2024

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा दो नफर अभियुक्तगण को गौवंशो से लदे DCM सहित किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर ज़ोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रवीन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.03.2024 को थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को गौवंशो से लदे DCM सहित गिरफ्तार कर थाना अमृतपुर पर मु०अ०सं०- 28/24 धारा- 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम 20१० व धारा- 11 पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम(1960) फंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 18.03.2024 को थाना अमृतपुर पुलिस को गौरक्षक दल से सूचना मिली कि ट्रक नं0 UP 76T 0422 मे काफी मात्रा मे गौवंश जा रहे है। सूचना पर थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा सड़क पर घेरबन्दी कर उक्त ट्रक को पकड लिया । ट्रक के डाले खोलकर देखा गया तो उसमे 26 गौवंश जीवित तथा 01 गौवंश मृत अवस्था में मौजूद मिला तथा 02 अन्य व्यक्ति भी बैठे हुये थे, जिसमे 01 व्यक्ति ट्रक के डाले के ऊपर से कूदकर भागने मे सफल रहा तथा दूसरा व्यक्ति मौके पर पकडा गया । गौवंश के पोस्टमार्टम हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। अभियुक्त 1. राजकुमार पुत्र मातादीन निवासी नीरपुर करई थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर 2. .रंजीत कुमार पुत्र अजब सिंह नि0-ग्राम कुईयासन्त थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर थाना अमृतपुर पर मु0अ0सं0- 28/24 धारा- 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम 30प्र0 व धारा 11 पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम(1960) पंजीकृत किया गया । ट्रक नं0 UP 76T 0422 को जरिये ई-चालान धारा 207 MV Act में चालान कर सीज किया गया। गौवंशो को वाहन की व्यवस्था कर सुरक्षार्थ गौशाला कुडरी सारंगपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ भेजा गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.रंजीत कुमार पुत्र अजब सिंह नि0- ग्राम कुईयासन्त थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष ।
2. राजकुमार पुत्र मातादीन निवासी- नीरपुर करई थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 30 वर्ष ।

पूछताछ का विवरण:-

बयान अभि0 रंजीत --- रंजीत कुमार पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम कुईया सन्त थाना शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद ने पूछने पर बताया कि साहब गलती हो गयी माफ कर दो अब जब पकड़ा ही गया हूँ तो जो भी कहना होगा वह अपने वकील के जरिये माननीय न्यायालय में कहूंगा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रंजीत उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 28/2024 धारा धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम 30प्र0 व धारा 11 पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम(1960) थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़

बरामद माल का विवरण:-

1. 01 अदद DCM नं0 UP 76 T 0422

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस:

1. व0उ0नि0 श्री रमाशंकर पांचाल
2. मु0आ0 सनोज कुमार
3. HG महेशचन्द्र

मीडिया सेल फतेहगढ़



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - थाना नवाबगंज

दिनांक :- 19.03.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को चोरी में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल व 01 देशी तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर ज़ोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दिनांक- 18.03.2024 को मु०अ०सं०- 27/2024 धारा- 380/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर पोस्ट नगला पैठ तहसील भीगांव थाना बेवर जनपद मैनपुरी को चोरी में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल TVS नं० UP 76 W 3941 व जामातलाशी के 1800 रुपये मय 01 देशी तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विपिन कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर पोस्ट नगला पैठ तहसील भौगांव थाना बेबर जनपद
मैनपुरी ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 मोटर साइकिल TVS नं0 UP 76 W 3941
2. 1800 रुपये
3. 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त विपिन कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0- 27/2024 धारा- 380/411 भादवि ।
2. मु0अ0सं0- 70/2024 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस टीम:-

1. प्रा0नि0 आमोद कुमार सिंह
2. उ0नि0 गिरीश कुमार
3. हे0का0 मनोज कुमार
4. का0 गौरव कसाना

मीडिया सेल फतेहगढ़



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि० -19.03.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त गुड्डू पुत्र शोभाराम नि० हाजीनगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 59/2001 वाद स०- 260/2023 धारा-25 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.03.2024 को मा० न्यायालय एसीजेएम कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर जेल में विताई गयी अवधि व 1200/रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ श्री अंकित कुमार



कोर्ट मोहरीर हे०का० हिमांशु कुमार



पैरोकार उ०नि० जहान सिंह

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि0-19.03.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. बब्लू पुत्र राजाराम 2. रामसरन पुत्र जगराम सिंह निवासीगण ग्राम मिलकिया थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0-68/2012 वाद स0- 45/2014 धारा-307,352,504 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे कोर्ट संख्या 06 फर्रुखाबाद द्वारा अभि0गण प्रत्येक को दोषसिध्द कर 07 वर्ष कारावास व 11,500 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री तेज सिंह राजपूत



कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 प्रमोद कुमार



पैरोकार का0 कृष्णवीर सिंह

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि0-19.03.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. बब्लू पुत्र राजाराम 2. रामसरन पुत्र जगराम सिंह निवासीगण ग्राम मिलकिया थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0-68/2012 वाद स0- 45/2014 धारा-307,352,504 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे कोर्ट संख्या 06 फर्रुखाबाद द्वारा अभि0गण प्रत्येक को दोषसिध्द कर 07 वर्ष कारावास व 11,500 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री तेज सिंह राजपूत



कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 प्रमोद कुमार



पैरोकार का0 कृष्णवीर सिंह

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमसाबाद

दि०-19.03.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सर्वेश पुत्र रामशरण यादव निवासी ग्राम मुरैहटी थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 11/1997 वाद स०- 490/2020 धारा-25 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 19.03.2024 को मा० न्यायालय जे०एम० सदर फर्रुखाबाद द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष साधारण कारावास व 1000/रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ श्री अंकित कुमार



कोर्ट मोहर्रि म०हे०का० बेबी



पैरोकार का० देवेन्द्र कुमार



